

परिशिष्ट - I

(संदर्भ कंडिका: 1.4; पृष्ठ.6)

भाग ख - अध्याय - I में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची और उनकी गणना के आधार

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल वृद्धि की दर जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्प्लावकता	प्राचल (X) की वृद्धि की दर प्राचल (Y) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि - I)*] 100
प्रवृत्ति/औसत	5 वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति (लॉजिस्ट (1996-97 की राशि; 2001-02 की राशि)- 1) * 100
शेयर शिफ्ट/ प्राचल की शिफ्ट दर	राजस्व या व्यय में जैसा भी मामला हो किसी प्राचल का पाँच वर्षों से ज्यादा समय में प्रतिशत अंश की प्रवृत्ति
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
भारित ब्याज दर	ब्याज भुगतान [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएँ की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएँ)/ 2]* 100
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - भारित ब्याज दर
अग्रिमित ऋण पर प्रतिशत ब्याज- प्राप्ति	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋणों तथा अग्रिमों का अंतशेष)/ 2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ <u>घटाव</u> सभी योजनागत अनुदान और गैर योजनागत राजस्व व्यय, 2048 कमी के लिए विनियोग या ऋण की परिहार्यता के अंतर्गत विकलन को छोड़ कर

परिशिष्ट – II

(संदर्भ कंडिका 1.4 एवं 1.10; पृष्ठ. 5 एवं.16)
31 मार्च 2004 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

देयताएँ			
31 मार्च 2003 को		31 मार्च 2004 को	
(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में)	
4882.71		आंतरिक ऋण	6727.80
	2392.99	ब्याज के साथ बाजार ऋण	2863.16
	0.58	बिना ब्याज के बाजार ऋण	1.26
	4.70	एल आई सी से ऋण	4.70
	1.60	जी आई सी से ऋण	1.60
	21.83	अन्य संस्थानों से ऋण	20.17
	8.86	अर्थोपाय ऋण (आर.बी.आई.)	8.86
	2452.15	केन्द्रीय सरकार के एन.एस.एस. निधि में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	3828.05
		रिजर्व बैंक में निक्षेप में कमी	
3558.41		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3148.64
	168.07	1984-85 के पहले के ऋण	147.87
	617.56	गैर योजनागत ऋण	163.46
	2742.50	राज्य योजनागत योजना के लिए ऋण	2805.51
	2.99	केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए ऋण	2.70
	12.75	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत योजना के लिए ऋण	14.56
	14.54	अर्थोपाय अग्रिम	14.54
150.00		आकस्मिकता निधि	21.66
155.85		लघु बचत, भविष्य निधि आदि	261.06
323.03		निक्षेप	342.37
119.52		आरक्षित निधि	205.80
		उचंचत और विविध शेष	
9189.52		कुल	10707.33

		परिसंक्षिप्त		
1759.86		अचत परिसंपत्तियों पर कुल पूँजीगत परिव्यय		2735.58
	6.99 #	कंपनियाँ, निगम आदि के शेयर में निवेश	6.99 #	
	1752.87	अन्य पूँजीगत परिव्यय	2728.59	
631.20		ऋण और अग्रिम		760.79
	512.21	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	604.81	
	103.53	अन्य विकास ऋण	132.97	
	15.46	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	23.01	
2.42		अग्रिम		2.88
14.40		प्रेषण शेष		0.54
340.91		उचंत एवं विविध शेष		364.86
247.61		नकद		881.40
		कोषागारों में नकद एवं स्थानीय प्रेषण		
	1.00	विभागीय नकद शेष	2.04	
	0.07	स्थायी अग्रिम	0.07	
	(-) 586.40	रिजर्व बैंक में जमा	(-) 495.69	
	116.22	बिन्दित निधि का निषेध	116.22	
	716.72	नकद शेष निवेश	1258.76	
6193.12		सरकारी लेखे में घाटा		5961.28
	572.70	वर्ष के दौरान राजस्व घाटा		
		वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य	231.84	
	5620.42	संचयी घाटा	6193.12	
		विविध घाटा 15.11.2000 से 31.03.2001		
9189.52		कुल		10707.33

राजस्व लेखा से निवेशित 3.31 करोड़ रुपये को छोड़कर।

परिशिष्ट - III

(संदर्भ कंडिका : 1.4; पृष्ठ.5)

वर्ष 2003-04 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2002-03			2003-04	2002-03		गैर योजनागत	योजनागत	कुल	2003-04
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
अनुभाग - क राजस्व									
4936.78	I राजस्व प्राप्तियाँ		5637.77	5509.48	I राजस्व व्यय				5405.93
1750.30	- कर राजस्व	1986.22		2752.53	सामान्य सेवाएँ	2429.26	179.28	2608.54	
987.14	- कर-भिन्न राजस्व	1105.55		1935.36	सामाजिक सेवाएँ	1427.74	441.01	1868.75	
1702.52	- संघीय करों के राज्य के हिस्से	1979.73		1084.20	शिक्षा, खेलकूद कला और संस्कृति	919.52	98.34	1017.86	
42.11	- गैर योजनागत अनुदान	90.24		242.64	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	155.27	66.43	221.70	
245.45	- राज्य योजनागत योजना के लिए अनुदान	314.18		118.74	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	94.37	18.69	113.06	
209.26	- केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	161.85		9.07	- सूचना एवं प्रसारण	11.56	1.92	13.48	
				201.95	- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	40.20	164.50	204.70	
				18.27	- श्रम एवं श्रम कल्याण	15.38	0.62	16.00	
				255.06	- समाज कल्याण एवं पोषाहार	186.36	90.51	276.87	
				5.43	- अन्य	5.08	-	5.08	
				820.87	- आर्थिक सेवायें	457.42	470.70	928.12	
				283.77	- कृषि और संबंधित गतिविधियाँ	151.08	157.60	308.68	
				267.47	- ग्रामीण विकास	89.81	153.25	243.06	
				-	- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
				36.85	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	36.55	7.83	44.38	
				101.26	- ऊर्जा	85.98	9.65	95.63	
				27.00	- उद्योग एवं खनिज	19.35	51.15	70.50	
				60.55	- परिवहन	56.34	52.64	108.98	
				43.97	- सामान्य आर्थिक सेवाएँ	18.31	38.58	56.89	
				0.72	- सहायता अनुदान अंशदान	0.52	-	0.52	
4936.78			5637.77	5509.48	कुल	4314.94	1090.99	5405.93	5405.93

- 572.70	II. खण्ड ख मे ले जाया गया राजस्व घाटा				II. खण्ड ख मे ले जाया गया राजस्व आधिक्य				231.84
खण्ड - ख									
448.86	III. स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित आरंभिक नकद शेष निवेश		247.61	शून्य	III. आर बी आई से आरंभिक ओवर ड्राफ्ट				
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			865.91	IV. पूँजीगत परिव्यय				975.72
				30.08	सामान्य सेवार्ये		33.47	33.47	
				161.86	सामाजिक सेवार्ये		125.55	125.55	
				3.33	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति		5.43	5.43	
				2.83	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		15.78	15.78	
				121.69	जलापूर्ति एवं स्वच्छता		66.79	66.79	
				26.30	आवासीय एवं शहरी विकास		33.44	33.44	
				7.71	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण		4.11	4.11	
				673.97	आर्थिक सेवार्ये		816.70	816.70	
				0.63	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		0.05	0.05	
				237.77	ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		332.85	332.85	
				223.49	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		314.90	314.90	
				39.82	ऊर्जा		2.01	2.01	
					उद्योग एवं खनिज		-	-	
				171.70	परिवहन		165.40	165.40	
				0.56	अन्य आर्थिक सेवार्ये		1.49	1.49	
3.23	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		3.94	284.92	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम				133.53
	- विद्युत परियोजना द्वारा			228.00	- विद्युत परियोजना के लिए				92.60
2.98	- सरकारी कर्मचारियों से	3.76		11.66	- सरकारी कर्मचारियों को				11.31
0.25	- अन्य से	0.18		45.26	अन्य को				29.62
	VI. लाया गया आधिक्य राजस्व		231.84	572.70	VI - लाया गया राजस्व घाटा				-
1889.24	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		2422.33	985.50	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान				987.01
1481.52	- अर्धोपाय अग्रिम एवं	1950.79		76.00	- अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को				105.70

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

	ओवरड्राफ्ट को छोड़ कर आंतरिक ऋण				छोड़ कर आंतरिक ऋण				
शून्य	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन			51.12	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन				
407.72	- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	471.54		858.38	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			881.31	
	VIII- आकस्मिकता निधि से विनियोजन	--	--		VIII- आकस्मिकता निधि से विनियोजन	--	--	--	--
	IX- आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित निधि	--	--		IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--	--	128.34
3049.26	X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		3112.82	2433.95	X- लोक लेखा संवितरण	--	--	--	2912.54
411.16	- लघु बचत एवं भविष्य निधि	367.96		237.59	- लघु बचत एवं भविष्य निधि			262.75	
62.07	आरक्षित निधियाँ	155.02		0.10	- आरक्षित निधियाँ			68.73	
105.71	- उचंचत एवं विविध	106.02		(-)177.89	- उचंचत एवं विविध			129.98	
1255.34	प्रेषण	1298.98		1254.44	- प्रेषण			1285.12	
1214.98	जमा एवं अग्रिम	1184.84		1119.71	- जमा एवं अग्रिम			1165.96	
	XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट			247.61	XI- अंत में रोकड़ शेष				881.40
					- कोषागारों एवं स्थानीय प्रेषणों में रोकड़				
				(-) 586.40	- रिजर्व बैंक में जमा			(-)495.69	
				1.07	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			2.11	
				116.22	उद्दिष्ट निधियों का निवेश			116.22	
				716.72	- रोकड़ शेष निवेश			1258.76	
5390.59	कुल		6018.54	5390.59					6018.54

परिशिष्ट – IV

(संदर्भ कंडिका: 1.4 ; पृष्ठ .5)
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

		स्रोत		
2002-2003			2003-2004	
(करोड़ रुपये में)				
4936.78		1. राजस्व प्राप्तियाँ		5,637.77
3.23		2. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		3.94
903.74		3. ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋण में वृद्धि		1435.32
615.31		4. लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियाँ		200.28
	173.57	लघु बचतों में वृद्धि	105.21	
	95.27	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	18.88	
	61.97	आरक्षित जमा में वृद्धि	86.29	
	283.60	उच्चत एवं विविध लेन देन का निवल प्रभाव	(-)23.96	
	0.90	प्रेषण लेन देन का शुद्ध प्रभाव	13.86	
--	--	5. आकस्मिकता निधि लेन देन का शुद्ध प्रभाव		(-)128.34
201.25		6. अंत रोकड़ शेष में ह्रास		
6660.31		कुल		7148.97
अनुप्रयोग				
5509.48		1. राजस्व व्यय		5405.93
284.92		2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उधार देना		133.53
865.91		3. पूँजीगत व्यय		975.72
-		4. आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण		-
		5. अंत रोकड़ शेष में वृद्धि		633.79
6660.31		कुल		7148.97

विवरणी I, II और III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

1. पूर्ववर्ती दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखे वित्त लिखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ा जाना है।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि विवरणी I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतान या प्राप्त मर्दें अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ों में विविधता इत्यादि वाली मर्दें लेखे में अंकित नहीं हाती हैं।

3. प्रेषण, उचंत एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किये गये चेक अन्य राज्यों की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लेन-देन, लंबित निपटारा आदि सम्मिलित हैं।
4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रं. 30) के अनुसार बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 (यानि निर्धारित दिन) के प्रभाव से संयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों से समाविष्ट नये राज्य झारखण्ड के नाम से जाना गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित दिन के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य की परिसम्पत्तियों और दायित्वों और अन्य वित्तीय समायोजनों का संविभाजन प्रत्येक मामले में होना शेष है। ऐसा विनियोजन मात्र लोक ऋण और रोकड़ शेष के संबंध में हुआ है।

परिशिष्ट - V

(संदर्भ कंडिका:1.4 ; पृष्ठ.5)

राज्य की वित्तीय स्थिति के कालबद्ध आँकड़े

	2000-2001 (15.11.2000 से 31.3.2001)	2001-2002	2002-2003	2003-04
	(करोड़ रुपये में)			
खण्ड-क प्राप्तियाँ				
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1964	4495	4937	5638
(i) कर राजस्व	700(36)	1586(35)	1750(35)	1986(35)
कृषि आय पर कर	-	--	-	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	583(83)	1239(78)	1366(78)	1601(81)
राज्य उत्पाद	37(5)	100(6)	99(5)	96(5)
वाहनों पर कर	18(3)	86(5)	105(6)	99(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	25(4)	64(4)	83(5)	82(4)
भू - राजस्व	3(..)	10(1)	15(1)	17(1)
अन्य कर	32(5)	87(6)	83(5)	91(4)
(ii) कर भिन्न राजस्व	349(18)	852(19)	987(20)	1106(20)
(iii) संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश	579(29)	1603(36)	1703(35)	1980(35)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	336(17)	454(10)	497(10)	566(10)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		-		-
3. कुल राजस्व और ऋण भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ (132)	1964	4495	4937	5638
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूली	1	2	3	4
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	266	1585	1889	2422
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों और ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	123	1196	1481	1951
अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन	-	--	-	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	143	389	408	471
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (33435)	2231	6082	6829	8064
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	150	--	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	840	1940	3049	3113
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (63738)	3221	8022	9878	11,177
खण्ड-ख व्यय/संवितरण				
10. राजस्व व्यय	1139(86)	4800(82)	5509	5406
योजना	192(17)	1262(26)	1025(19)	1091(20)
गैर योजना	947(83)	3538(74)	4484(81)	4315(80)
सामान्य सेवार्यें (ब्याज भुगतान सहित)	485(43)	1840(38)	2753(50)	2609(48)
सामाजिक सेवार्यें	438(38)	1897(40)	1935(35)	1869(35)
आर्थिक सेवार्यें	216(19)	1062(22)	821 (15)	928(17)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	-	0.69	0.72(..)	0.52(..)
11. पूँजीगत व्यय	161(12)	733(12)	866	976
योजना	161(100)	733(100)	866	976
गैर योजना	-	--	-	-
सामान्य सेवार्यें	3(2)	7(1)	30(3)	33(3)

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

	2000-2001 (15.11.2000 से 31.3.2001)	2001-2002	2002-2003	2003-04
	(करोड़ रुपये में)			
सामाजिक सेवायें	3(2)	123(17)	162(19)	126(13)
आर्थिक सेवायें	155(96)	603(82)	674(78)	817(84)
12. ऋणों और अग्रिमों का संवितरण	23(2)	329(6)	285(4)	134(2)
13. कुल (10311312)	1323	5862	6660	6516
14. लोक ऋण का पुर्नभुतान	83	193	986	987
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों और ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1	2	127	106
अर्थोपाय अग्रिमों और ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	--	-	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	82	191	859	881
15. आकस्मिकता निधि में विनियोग	150	--	-	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13314315)	1556	6055	7646	7503
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	--	-	128
18. लोक लेखा संवितरण	692	2463	2434	2913
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16317318)	2248	8518	10080	10544
खण्ड-ग घाटा	-			
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (3) (1-10)	825	(-)305	-572	3232
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (3) (334-13)	642	(-)1365	-1720	-874
22. प्रारंभिक घाटा (21-23)	561	797	301	-308
खण्ड-घ अन्य आँकड़े	-			
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में अंतर्विहित)	81	568	1419	1182
24. राजस्व के बकाये (कर और कर - भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	1144 (109)	1762 (72)	2944 (107)	-
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	70	367	459	452
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपयोगित ओवर ड्राफ्ट (दिन)	1	1	-	31
27. अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	1
28. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (रा.स.घ.उ.)	108531	30774	@ 33675	@ 37574
29. बकाया ऋण (वर्षांत)	6145	7537	8441	9876
30. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्षांत)	-	--	-	-
31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्षांत)	-	--	-	-
32. अपूर्ण परियोजना की संख्या	1	1	1	1
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	878	907	955	1007

@ त्वरित प्राक्कलनों के अनुसार

परिशिष्ट – VI

(संदर्भ कडिका 2.3.2 पृष्ठ.28)

एक करोड़ और प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की बचत

क्र.सं.	राजस्व दत्तमत	करोड़ रुपये में
1.	1- कृषि विभाग	40.57
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	15.17
3.	3- भवन निर्माण विभाग	16.52
4.	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	1.47
5.	7- निगरानी	1.06
6.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	29.49
7.	9- सहकारिता विभाग	9.93
8.	11- उत्पाद एवं निषेध विभाग	2.01
9.	12- वित्त विभाग	5.82
10.	15- पेंशन	344.68
11.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5.28
12.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	3.95
13.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	96.78
14.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	128.10
15.	22- गृह विभाग	140.77
16.	23- उद्योग विभाग	54.81
17.	24- सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2.41
18.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	2.24
19.	26- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	23.82
20.	27- विधि विभाग	10.99
21.	29- खनिज एवं भूतत्व विभाग	11.12
22.	32- विधान मंडल	3.36
23.	35- योजना एवं विकास विभाग	15.55
24.	37- राजभाषा विभाग	1.06
25.	38- निबंधन विभाग	1.06
26.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.52
27.	41- पथ निर्माण विभाग	14.95
28.	42- ग्रामीण विकास विभाग	643.56
29.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	26.19
30.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	272.90
31.	48- शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	12.53
32.	49- जल संसाधन विभाग	4.26
33.	50- लघु सिंचाई विभाग	4.46
34.	51- कल्याण विभाग	159.99
35.	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	7.72

पूँजीगत (दत्तमत)		
1.	3- भवन निर्माण विभाग	9.56
2.	10- ऊर्जा विभाग	141.21
3.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	32.93
4.	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	8.70
5.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1.72
6.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10.09
7.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	154.71
8.	41- पथ निर्माण विभाग	45.38
9.	42- ग्रामीण विकास विभाग	197.12
10.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3.54
11.	47- परिवहन विभाग	1.43
12.	48- शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	56.86
13.	50- लघु सिंचाई विभाग	15.48
14.	51- कल्याण विभाग	1.04
15.	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	49.74
	कुल	2875.61

परिशिष्ट – VII

(संदर्भ कंडिका-2.3.2 ; पृष्ठ.29)

प्रत्येक मामले में दो करोड़ रुपये से अधिक की सतत् बचत वाले मामले

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत (राशि करोड़ रुपये में) और प्रावधान से उसकी प्रतिशतता कोष्ठक में		
		2001-02	2002-03	2003-04
	राजस्व दत्तमत			
1.	1- कृषि विभाग	23.99(25)	44.89(33)	40.57(28)
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	17.80(31)	23.32(36)	15.17(26)
3.	3- भवन निर्माण विभाग	19.00(28)	7.45(13)	16.52(29)
4.	9- सहकारिता विभाग	8.87(35)	9.45(35)	9.93(36)
5.	12- वित्त विभाग	11.08(34)	11.13(43)	5.82(25)
6.	15- पेन्शन	4.07(0.78)	230.83(31)	344.68(38)
7.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	18.23(61)	2.16(15)	5.28(30)
8.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	98.06(39)	132.27(47)	96.78(39)
9.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	123.24(34)	133.53(36)	128.10(37)
10.	22- गृह विभाग	206.72(31)	206.09(32)	140.77(22)
11.	23- उद्योग विभाग	52.23(47)	116.60(86)	54.81(47)
12.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	24.56(37)	24.79(35)	23.82(27)
13.	27- विधि विभाग	6.52(16)	12.42(22)	10.99(17)
14.	29- खनिज एवं भूतत्व विभाग	9.20(53)	7.34(46)	11.12(52)
15.	35- योजना एवं विकास विभाग	5.43(12)	9.64(69)	15.55(53)
16.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	32.32(26)	43.29(32)	31.52(27)
17.	41- पथ निर्माण विभाग	50.65(35)	9.23(13)	14.95(20)
18.	42- ग्रामीण विकास विभाग	149.43(35)	655.11(64)	643.56(65)
19.	43 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	30.67(48)	32.39(41)	26.19(48)
20.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	223.64(20)	712.92(44)	272.90(24)
21.	48- शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	17.29(28)	36.34(55)	12.53(38)
22.	49- जल संसाधन विभाग	4.86(20)	45.57(71)	4.26(19)
23.	51- कल्याण विभाग	126.83(25)	132.01(32)	159.99(36)
	पूँजीगत दत्तमत			
1.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4.25(43)	2.29(23)	10.09(71)
2.	36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	80.44(57)	63.97(36)	154.71(70)
3.	41- पथ निर्माण विभाग	79.68(43)	39.30(19)	45.38(22)
4.	42- ग्रामीण विकास विभाग	247.81(48)	305.24(56)	197.12(37)
5.	48- शहरी विकास विभाग	59.85(41)	116.38(64)	56.86(51)
6.	50- लघु सिंचाई विभाग	27.91(46)	32.16(61)	15.48(32)
	कुल	1958.50	3306.07	2565.45

परिशिष्ट – VIII

(संदर्भ कंडिका: 2.3.5; पृष्ठ.31)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	पूरक अनुदान/विनियोग (लाख रुपये में)	बचत
राजस्व			
1.	1- कृषि विभाग	7,68.00	40,57.16
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2,25.32	15,16.99
3.	3- भवन निर्माण विभाग	99.51	16,52.12
4.	5- राज्यपाल का सचिवालय	45.00	61.67
5.	7- निगरानी	6.37	1,05.64
6.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	2,04.10	29,48.63
7.	11- उत्पाद एवं निषेध विभाग	87.30	2,00.63
8.	12- वित्त विभाग	51.61	5,82.33
9.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2,45.20	5,27.50
10.	18- खाद्यापूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	28.01	3,95.01
11.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	2.13	96,78.40
12.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,83.73	1,28,10.26
13.	21- उच्च शिक्षा विभाग	22.60	4,45.71
14.	22- गृह विभाग	3,73.59	1,40,76.95
15.	23- उद्योग विभाग	3,95.44	54,80.91
16.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	7.10	2,23.92
17.	28- झारखण्ड का उच्च न्यायालय	34.73	51.67
18.	29- खनिज एवं भूतत्व विभाग	8,40.00	11,12.27
19.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	3.00	9.89
20.	32- विधानमंडल	54.02	3,35.62
21.	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	37.88	69.89
22.	37- राजभाषा विभाग	12.00	1,06.08
23.	38- निबंधन विभाग	1.38	1,05.92
24.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	5,68.60	31,52.17
25.	41- पथ निर्माण विभाग	1,23.69	14,94.72
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	30,26.06	6,43,56.34
27.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5,55.88	26,18.82
28.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	2,97.49	2,72,89.63
29.	46- पर्यटन विभाग	15.41	1,02.03
30.	48- शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	3.06	12,52.63
31.	49- जल संसाधन विभाग	1.47	4,25.69
32.	51- कल्याण विभाग	42,85.98	1,59,99.22
33.	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	3,90.37	772.28
पूँजीगत			
1.	3- भवन निर्माण एवं आवासीय विभाग	600.00	9,56.47
2.	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	869.60	869.60
3.	49- जल संसाधन विभाग	3.10	19,63.91
4.	51- कल्याण विभाग	104.39	104.39
कुल		14973.12	177913.07

परिशिष्ट- IX

(सदरुु कंडिका: 2.3.5; पृष्ठ.31)

डरुडले जहूँ अनुडूरक डुररवधरुन अधलक सररडलत हुए

कुर.सर.	अनुडरुन/वलनलरुडुडु कुरी सरुखुडरु अरुवु नरुडु	अनुडूरक अनुडरुन/वलनलरुडुडु	डरुडत
ररकुसरुव अनुडुररुग		(लरुख रुडुडुडु डुडु)	
1.	4- डुनुतुरलडुडुल सरुडलवलरुडु अरुवु सरुडनुवडुन वलडुररुग	2,79.55	147.29
2.	16- ररषुडूरुडु डरुडत	53.90	48.79
3.	24- सुडुनरुनरु अरुवु कुन सरुडुकरु वलडुररुग	9,21.43	2,40.98
4.	26- शुरडु रुरुकुगरु अरुवु डुरशलकुषुण वलडुररुग	48,00.12	23,82.03
5.	27- वलधल वलडुररुग	14,15.40	10,98.98
6.	34- कुनरुखणुडु लुक सरुवरु अरुडुडु	2,89.80	75.97
7.	35- डुडुकुनरुनरु अरुवु वलकुरस वलडुररुग	20,41.69	15,54.72
8.	50- लघु सरुसरुडरु वलडुररुग	7,26.94	4,45.92
डुडुडुडुगुत अनुडुररुग			
1.	12- वलतु वलडुररुग	2,00.00	68.94
2.	50- लघु सरुसरुडरु वलडुररुग	22,74.30	15,48.38
कुल		13003.13	7612.00

परिशिष्ट –X

(संदर्भ कंडिका: 2.3.5; पृष्ठ.31)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त साबित हुए

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग सं.	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
	राजस्व अनुभाग				
1	10- ऊर्जा विभाग	9263.86	347.73	10574.49	962.90
2	13- ब्याज भुगतान	99043.99	60.00	118232.37	19128.38
3	14- ऋण का पुनर्भुगतान	63157.73	165.50	130794.56	67471.33
4	39- राहत एवं पुनर्वास विभाग	3456.52	5220.00	14809.97	6133.45
	कुल	174922.10	5793.23	274411.39	93696.06

परिशिष्ट -XI

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ.31)

अभ्यर्पित नहीं की गयी एक करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचतें

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अनाभ्यर्पित बचत	अभ्यर्पण नहीं करने की प्रतिशतता
	राजस्व अनुभाग - दत्तमत	(करोड़ रुपये में)			
1.	1- कृषि विभाग	40.57	39.30	1.27	3
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	15.17	5.29	9.88	65
3.	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	1.47	--	1.47	100
4.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	29.49	28.22	1.27	4
5.	9- सहकारिता विभाग	9.93	0.06	9.87	99
6.	12- वित्त विभाग	5.82	2.44	3.38	58
7.	15- पेन्शन	344.68	--	344.68	100
8.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	5.28	4.14	1.14	22
9.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	96.78	24.99	71.79	74
10.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	128.10	6.97	121.13	95
11.	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	4.46	--	4.46	100
12.	22- गृह विभाग	140.77	--	140.77	100
13.	23- उद्योग विभाग	54.81	44.66	10.15	19
14.	26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	23.82	17.10	6.72	28
15.	27- विधि विभाग	10.99	8.75	2.24	20
16.	29- खनिज एवं भूतत्व विभाग	11.12	0.18	10.94	98
17.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.52	18.20	13.32	42
18.	41- पथ निर्माण विभाग	14.95	7.59	7.36	49
19.	42- ग्रामीण विकास विभाग	643.56	80.45	563.11	87
20.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	26.19	7.66	18.53	71
21.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	272.90	82.80	190.10	70
22.	46- पर्यटन विभाग	1.02	--	1.02	100
23.	51- कल्याण विभाग	159.99	73.62	86.37	54
24.	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	7.72	6.63	1.09	14
	पूँजीगत (दत्तमत)				
1)	3- भवन निर्माण विभाग	9.56	2.98	6.58	69
2)	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	32.93	1.53	31.40	95
3)	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	8.70	--	8.70	100
4)	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10.09	7.93	2.16	21
5)	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	154.71	126.27	28.44	18
6)	41- पथ निर्माण विभाग	45.38	42.68	2.70	6
7)	42- ग्रामीण विकास विभाग	197.12	21.12	176.00	89
8)	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3.54	--	3.54	100
9)	47- परिवहन विभाग	1.43	--	1.43	100
10)	48- शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	56.86	43.53	13.33	23
11)	50- लघु सिंचाई विभाग	15.48	11.26	4.22	27
12)	51- कल्याण विभाग	1.04	--	1.04	100
	कुल	2617.95	716.35	1901.60	73

परिशिष्ट -XII

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ.31)

31 मार्च 2004 को अभ्यर्पण (हजार रुपये में)

अनुदान सं.	राजस्व	पूँजी	कुल
1	39,30,32	1,00	39,31,32
2	5,29,48		5,29,48
3	15,58,17	2,97,85	18,56,02
6	1,12,31		1,12,31
7	98,65		98,65
8	28,22,12		28,22,12
9	5,85		5,85
10	1,38,85	1,41,20,95	1,42,59,80
11	1,78,89		1,78,89
12	2,44,06	76,35	3,20,41
13	17,97		17,97
14		10,41	10,41
16	48,54		48,54
17	4,13,73		4,13,73
18	3,78,03		3,78,03
19	24,98,65		24,98,65
23	44,52,89		44,52,89
24	2,15,67		2,15,67
25	2,13,97	1,72,00	38,597
26	17,10,09		17,10,09
27	8,74,50		8,74,50
28	36,40		36,40
29	18,45		18,45
32	3,08,06		3,08,06
33	57,42		57,42
34	63,46		63,46
35	15,34,42		15,34,42
36	9,22,70	1,26,27,42	1,35,50,12
37	77,00		77,00
38	86,13		86,13
40	18,19,54	1	18,19,55
41	7,58,99	24,58,34	32,17,33
42	56,64,74	12,61,69	69,26,43
43	7,66,30		7,66,30
44	82,57,60		82,57,60
47	55,35		55,35
48	3,35,38	43,53,33	46,88,71
49	3,38,07	17,08,09	20,46,16
50	3,53,79	11,25,71	14,79,50
51	73,61,80		73,61,80
52	6,63,37	16,45,14	23,08,51
कुल	4,99,21,71	3,98,58,29	8,97,80,00

31 मार्च 2004 के पहले अभ्यर्पण			
20	6,97,00	1,53,00	8,50,00
23	13,07	-	13,07
30	-	7,93,14	7,93,14
41	-	18,10,02	18,10,02
42	23,80,61	8,50,00	32,30,61
44	22,85	-	22,85
48	9,00,00	-	9,00,00
49	4,98	14,45,00	14,49,98
52	-	33,28,50	33,28,50
कुल	40,18,51	83,79,66	1,23,98,17
कुल योग	5,39,40,22	4,82,37,95	10,21,78,17

परिशिष्ट- XIII

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ.31)

मार्च 2004 के दौरान अभ्यर्पित राशि

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	अभ्यर्पित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	1. कृषि विभाग	राजस्व दत्तमत	39.30
2.	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व दत्तमत	5.29
3.	3. भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	15.58 2.98
4.	6. निर्वाचन	राजस्व दत्तमत	1.12
5.	8. नागरिक उद्‌डयन विभाग	राजस्व दत्तमत	28.22
6.	10. ऊर्जा विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	1.39 141.21
7.	11. उत्पाद एवं निषेध विभाग	राजस्व दत्तमत	1.74
8.	12. वित्त विभाग	राजस्व दत्तमत	2.44
9.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व दत्तमत	4.14
10.	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व दत्तमत	3.78
11.	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व दत्तमत	24.99
12.	23. उद्योग विभाग	राजस्व दत्तमत	44.53
13.	24. सूचना एवं जन संपर्क विभाग	राजस्व दत्तमत	2.16
14.	25. संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	2.14 1.72
15.	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व दत्तमत	17.10
16.	27. विधि विभाग	राजस्व दत्तमत	8.75
17.	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूँजीगत दत्तमत	7.93
18.	32. विधानमंडल	राजस्व दत्तमत	3.06
19.	35. योजना एवं विकास विभाग	राजस्व दत्तमत	15.34
20.	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व दत्तमत, पूँजीगत दत्तमत	9.23 126.27
21.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	18.20
22.	41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	7.59 24.93
23.	42. ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	80.14 13.12
24.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व दत्तमत	7.66
25.	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत	82.58
26.	48. शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	3.35 43.53
27.	49. जल संसाधन विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	3.38 30.63
28.	50. लघु सिंचाई विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	3.54 11.26
29.	51. कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत	73.62
30.	52. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	6.63 16.45
	कुल		937.02

परिशिष्ट – XIV
(संदर्भ कंडिका: 2.4; पृष्ठ.31)
असमाशोधित व्यय की विवरणी

क्रम सं	विभाग	इकाइयाँ	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	मावन संसाधन विभाग	635	1919.74
2.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग	20	470.47
3.	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई)	17	310.84
4.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	33	270.15
5.	पंचायती राज विभाग	13	195.03
6.	वित्त विभाग	74	180.85
7.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	66	178.63
8.	ग्रामीण विकास विभाग	15	126.60
9.	ऊर्जा विभाग	03	95.80
10.	पथ निर्माण विभाग	07	57.09
11.	परिवहन विभाग	07	53.83
12.	प्रशासनिक विभाग	25	45.29
13.	गृह पुलिस विभाग	03	37.27
14.	शहरी विकास योजना विकास विभाग	12	31.54
15.	पर्यटन विभाग	05	17.75
16.	भूमि सुधार विभाग	07	13.69
17.	सूचना एवं प्रचार विभाग	03	13.48
18.	निर्वाचन विभाग	03	10.54
19.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	05	10.07
20.	खान एवं भूतत्व विभाग	23	10.06
21.	आवासीय विभाग	04	8.47
22.	वन एवं पर्यावरण विभाग	78	4.05
23.	मुद्रांक एवं निबंधन विभाग	37	3.43
24.	श्रम एवं नियोजन विभाग	07	1.02
25.	दुग्ध विकास विभाग	16	0.97
26.	विधि विभाग	01	0.77
27.	खाद्यापूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	01	0.46
	कुल	1120	4067.89

परिशिष्ट- XV

(संदर्भ कंडिका: 2.5; पृष्ठ.32)

नयी सेवायें/सेवाओं के नये साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	अधिक
1.	अनुदान सं. -2 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग 2405- मत्स्य 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना 0201- मत्स्य निदेशालय (योजना)	12.66	49.90	37.24
2.	0202- मत्स्य पालन विकास अभिकरण (राज्यांश) (योजना)	9.00	30.66	21.66
	कुल	21.66	80.56	58.90

परिशिष्ट- XVI

(संदर्भ कंडिका: 2.5; पृष्ठ.32)

नयी सेवायें/सेवाओं के नये साधन पर बिना बजट प्रावधान के व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम स.	अनुदान/विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक
1.	अनुदान संख्या-12 वित्त विभाग 7610- सरकारी सेवकों आदि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 10- अन्य अग्रिम (गैर योजनागत)	शून्य	84.28	84.28
2.	अनुदान संख्या-20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 2210 -चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 06- लोक स्वास्थ्य 101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण 0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (सी.पी.एस.)	शून्य	27.96	27.96
3.	2211- परिवार कल्याण 109- पुनरूत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0000- पुनरूत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना (सी.पी.एस.)	शून्य	4,26.85	4,26.85
4.	अनुदान संख्या 49 जल संसाधन विभाग 4701- मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना 799- उच्चत 05- विविध लोक निर्माण अग्रिम (योजनागत)	शून्य	11,98.78	11,98.78
	कुल	शून्य	17,37.87	17,37.87

परिशिष्ट – XVII

(संदर्भ कंडिका: 2.6; पृष्ठ.32)
बचतों से अधिक अभ्यर्पण

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पित (लाख रुपये में)
राजस्व अनुभाग				
1	6- निर्वाचन	16.82	112.31	95.49
2	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	910.44	922.70	12.26
पूँजीगत शीर्ष				
1	12- वित्त विभाग	68.94	76.35	7.41
2	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	171.98	172.00	0.02
3	49- जल संसाधन विभाग	1963.91	3153.09	1189.18
	कुल	3132.09	4436.45	1304.36

परिशिष्ट- XVIII

(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ.32)
अधिक व्यय के बावजूद अभ्यर्पण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या	अधिक बचत	अभ्यर्पण
	राजस्व अनुभाग		
1	10 -ऊर्जा विभाग	9,62.90	1,38.85
2	13- ब्याज भुगतान	1,91,28.38	17.97
3	14- ऋण का पुर्नभुगतान	6,74,71.33	10.41
	कुल	8,75,62.61	1,67.23

परिशिष्ट- XIX

(संदर्भ कंडिका 2.7; पृष्ठ.32)

आकस्मिकता निधि 2003-04 से निकासी कर किये गए व्यय का नियमन नहीं होना
(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	आकस्मिकता निधि से निकासी की गयी राशि
1.	1. कृषि विभाग	0.03
2.	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	4.26
3.	3. भवन निर्माण विभाग	2,00.00
4.	4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	3.00
5.	6. निर्वाचन	1,37.92
6.	7. निगरानी	1.50
7.	9. सहाकारिता विभाग	3.00
8.	10. ऊर्जा विभाग	13,39.50
9.	13. ब्याज भुगतान	3,56.61
10.	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	59.60
11.	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	37,62.74
12.	22. गृह विभाग	57.25
13.	23. उद्योग विभाग	1.50
14.	25. संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	8.14
15.	26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	18,52.22
16.	28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय	15.60
17.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18.04
18.	41. पथ निर्माण विभाग	10,35.03
19.	42. ग्रामीण विकास विभाग	23,99.00
20.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1,03.55
21.	48. शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	9,53.04
22.	49. जल संसाधन विभाग	0.85
23.	50. लघु सिंचाई विभाग	1,01.97
24.	51. कल्याण विभाग	4,19.95
कुल		1,28,34.30

परिशिष्ट-XX
(संदर्भ कंडिका 3.1.22; पृष्ठ.46)

2001-04 के दौरान कालातीत दवाओं की सूची को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

कार्यालय स्वास्थ्य केन्द्र	दवा का नाम	बैच सं.	विनिर्माण की तिथि	कालातीत होने की तिथि	मात्रा	मूल्य रुपये
असैनिक शल्य चिकित्सक राँची	सिप्रोल्फोक्सीन टैब	(के.ए.पी.एल) (071- 073)	उपलब्ध नहीं	8/03-9/03	56000	23,912
	पारासिटामोल आइ.पी. (500 एम.जी.)	693 694 695 700 706	उपलब्ध नहीं	2/04 3/04	1999 टैब	4,925
	मेलोन्डाजोल (100 एम.जी.)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1/04	11000	उपलब्ध नहीं
	फेमोसेडाइन (20 एम.जी.)	उपलब्ध नहीं के.ए. 02-03 एच	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं	10/03 12/03	6000 400	28837
पी.एच.सी. कांके, राँची	नॉर्मल सलाइन	सी.इ.एक्स. 106 सी.इ.एक्स. 152 स.इ.एक्स 118	1.01	1/04	97	1,154
	डेक्सटाइज 5%	054	12/2000	12/03	28 बोतल	333
	लेकटाइन	(आर.एल.) डी.इ.एक्स. 109	1/01	1/4	9 बोतल	107
	टेट्रासाइक्लीन	510079	1/99	5/01	500 कैप्सूल	607
पी.एच.सी. अनगड़ा, राँची	बा.पी. चाइल्ड डेपसोनेट रिफाम्पीसीन	02100	11/2000	3/4	48X3 पी.के.टी.	वि. स्वा. सं.
	रोम रिफाम्पीसीन मीनोसायक्लाइन	113088	4/01	3/03	10 X 7.70 किट्स	वि. स्वा. सं.
	को ट्रूनीक्साजाइक	018	10/01	3/04	4000 टैब	2,118
	पारासीटानाइक टैब	694	3/02	2/02	1000 टैब	240
पी.एच.सी. ओरमांडी	पारासीटामोल (आर.डी.पी.एल.)	695	1/02	2/04	2572 टैब	634
	कंटीमासजोल (आर.डी.पी.एल.)	764	10/01	4/04	1000 टैब	1,010
रेफरल अस्पताल बसिआ, (गुमला)	इथानबायटिक हाइड्रोक्लोराइड 800 एम. जी. (निस्टोर)	इ.टी.डी. 01102	6/01	5/04	130	उपलब्ध नहीं
	सोडियम क्लोराइड इंजे.	सी.ई.एक्स. 119	1/01	1/04	18 बोतल	उपलब्ध नहीं
	ट्रिमोक्साजोल आर.डी.पी.एस.	017	10/01	1/04	1000 टैब	उपलब्ध नहीं
	को ट्रूनीक्साजाइक (के.ए.पी.एल.) डी.एस. टैब	091	1/02	6/04	500 टैब	667
	विटामिन बी. कॉम्पलक्स आर.डी.पी.एल.	058	1/02	6/04	500 टैब	132.40
	बूपीभासीयानेही हाईड्रो क्लोराइड	बी.पी.ई. 02	5/01	4/03	1200 भाइल	उपलब्ध नहीं

रेफरल अस्पताल बसिया (गुमला)	इंज.आई.पी. नेस्टोर फार्मा					
	हाइड्रोकोरटीसोन एसीटेट इंजे.आई.पी.	भी.एच.डी. 106	7/01	6/03	50 भाइल	उपलब्ध नहीं
	मिथाइलडोला	एम. एण्ड टी. 18	7/01	6/03	500 टैब	उपलब्ध नहीं
	डोपरबूबेवायड्रो क्लोराइड इंजे.भी.एस.पी.	112	6/01	5/04	25 भाइल	उपलब्ध नहीं
	सेंट्रीमायड पावर (इन्फ्लूडींग पेनाल्टी) 5 साचेट्स एक्स 25 जी.एच.एस.	312	4/01	4/04	10 पैकेट	उपलब्ध नहीं
	एम.बी.आई. क्लिटस	0350	12/02	5/04	4 पैकेट	उपलब्ध नहीं
	फेसिक्यू 5 (छोटा)	1021	5/02	4/04	4000 टैब	उपलब्ध नहीं
	फोलिक एसिड (आई)	आई.आर.टी.ई. 2348	7/01	6/03	16000 टैब	उपलब्ध नहीं
	इथामबूटोल 800 एम.जी.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5/04	1400 टैब	उपलब्ध नहीं
	आइसोमीयाजाइड टैबस	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5/03	5000 टैब	उपलब्ध नहीं
	मन्नीटाल इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11/03	72 बोतल	उपलब्ध नहीं
	बूपरीसियन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2/04	50 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	डायजेपाम इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4/02	50 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	मेलहेन्टेरमीन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7/03	45 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	डेपानूब हाइड्रीकूड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5/04	45 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	डीजोक्सीन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	6/03	100 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	एडेमालीन इंजे	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12/01	95 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	केटामीन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1/02	45 भाइल	उपलब्ध नहीं
	भेक्यूरोनीयम इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5/03	500 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	परक्यूरोनीयम इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1/03	500 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	न्येसटाजमीन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2/03	990 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	रीमेथोजाइन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	6/03	50 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	हाइड्रोप्रोजेस्टोन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2/02	100 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	सोडियम बायोकारबोनेट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7/03	100 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	मेगनेसीम सल्फेट इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1/03	50 एम्मुल	उपलब्ध नहीं
	फीनायटोइन इंजे.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1/03	25 भाइल	उपलब्ध नहीं
सदर पी.एच. सी. चाईवासा	फोलिक एसिड	आई.एफ.टी.ई. 2357 आई.एफ.टी.ई. 345	7/01 6/01	9/03 12/03	345 टैब	भारत सरकार
	आइ.जी.एम.ओ. (ओमीपाकाजोल)	ए.पी.डी. 0189	10/01	8/03	100 कैप्सूल	भारत सरकार
	फूराजडी डोन टैबस	आर.आई.टी. 002	3/02	2/04	250 टैब	उपलब्ध नहीं
झींकपानी पी.एच.सी. पश्चिम सिंहभूम	फोलिक एसिड एण्ड फेरस सलफेट (आई.आर.ओ. एफ.ओ.एल.) लार्ज टैबस	आई.एफ.टी.ई. 2322	7/01	6/03	500 टैब	भारत सरकार द्वारा आपूर्ति

फोलिक एसिड एण्ड फेरस सल्फेट (नेरफॉल) टैब्स	आई.एफ.टी.ई. – 346	7/2001	6/2003	900 टैब	वही
सिप्रोफ्लोक्सिन एण्ड टीनीडाजोल केइम्पलॉक्स टी.जेड. (के.ए.पी.एल.)	के.ए. 02-04	2/2002	1/2004	100 टैब	460
आई.एफ.ए. (छोटा)	आइ.एफ.टी.ई – 342 आई.एफ.टी.ई – 346	6/2001 7/2001	5/2003 6/2003	2600 टैब	भा.स.
आई.एफ.ए. (बड़ा)	आई.एफ.टी.ई – 2320 आई.एफ.टी.ई – 2323	7/2001	6/2003	3000 टैब	भा.स.
एनीसथेटीक इथर आई.पी. 500 एम.एल.	लॉट न. . ए 47	2/1997	1/1999	15 बोतल	1,905
पी.बी. चाइल्ड 50 एम.जी.	बी. 02109 बी.		12/2003	720 टैब.	भा.स.

वि. स्वा. सं.- विश्व स्वास्थ्य संगठन आपूर्ति

भा. स. - भारत सरकार आपूर्ति

उ. न.-उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट - XXI

(संदर्भ कंडिका-3.2.6 ; पृष्ठ.56)

असमायोजित अग्रिमों को दर्शानेवाली विवरणी
राँची विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	अग्रिम धारकों का नाम	राशि (लाख रुपये में)	अवधि	उद्देश्य
1	प्राचार्य, राँची महाविद्यालय	64.02	1992-93 से 2003-04	केन्द्रों पर व्यय
2	प्राचार्य, डोरंडा महाविद्यालय	4.23	वही	वही
3	प्राचार्य, जी एल ए महाविद्यालय, डाल्टेनगंज	7.37	1993-94 से 2003-04	वही
4	प्राचार्य, वाई एस एम महिला महाविद्यालय डाल्टेनगंज	4.32	वही	वही
5	प्राचार्य, महिला महाविद्यालय जमशेदपुर	10.15	वही	वही
6	प्राचार्य, कोऑपरेटिव महाविद्यालय जमशेदपुर	21.39	वही	वही
7	प्राचार्य, सेंट जेवियर महाविद्यालय राँची	65.38	1992-93 से 2003-04	वही
8	निर्मला महिला महाविद्यालय, राँची	42.60	वही	वही
9	विभागाध्यक्ष, भौतिकी	3.41	वही	आकस्मिकताएँ एवं केन्द्रों पर व्यय
10	विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र	8.96	वही	वही
11	श्री अमृत बेग, सहायक	4.25	वही	परीक्षा संबंधी आकस्मिकताएँ
12	श्री बी. एन. सेठ, इ.ओ.	3.37	1996-97 से 20 03-04	कार्यालय अनुरक्षण एवं आकस्मिकताएँ
13	श्री बिहारी लाल अग्रवाल, कोलकाता	4.36	1997-98 से 20 03-04	डिग्री का मुद्रण
14	श्री फनेश्वर मंडल, उप कुलपति के निजी सहायक	1.47	वही	कार्यालय आकस्मिकताएँ
15	मेसर्स गोपीनाथ बट्टीनाथ, पटना	7.00	1992-93 से 20 03-04	उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद
16	श्री जरी कुमार सिन्हा, क्रिकेट प्रशिक्षक	5.82	वही	क्रिकेट खेल प्रतियोगिता
17	श्री कामेश्वर प्र. सिंह, भूतपूर्व अनुभाग अधिकारी	1.02	वही	कार्यालय आकस्मिकताएँ
18	श्री कैलाश सिंह, उप कुलपति के भूतपूर्व निजी सहायक	16.77	1994-95 से 2003-04	वही
19	श्रीमती किरण थॉम कृष्णन, महिला बॉली बॉल प्रशिक्षक	1.84	1996-97 से 2003-04	वॉली बॉल खेल प्रतियोगिता
20	श्री प्रो. के. के. प्रसाद, बिरसा महाविद्यालय, खूँटी	1.36	1992-93 से 2003-04	हॉकी टीम
21	श्री एच पी राय, डी पी आई, सेवानिवृत्त	5.98	वही	परीक्षा आकस्मिकताएँ
22	श्री प्रो. शिव प्रसाद, भूतपूर्व ओ एस डी	1.93	वही	परीक्षा
23	श्री मंगल कच्छप, फुटबॉल प्रशिक्षक	5.22	वही	फुटबॉल खेल प्रतियोगिता
24	श्री बी कंडोलना, भूतपूर्व हॉकी प्रशिक्षक	7.28	वही	हॉकी खेल प्रतियोगिता
25	एस.पी. मुंडा, पी.टी.आई., राँची महाविद्यालय	2.45	1995-96 से 2003-04	स्पोर्ट्स एवं एथलेटिक्स
26	श्री शेखर बोस, भूतपूर्व वॉली बॉल प्रशिक्षक	8.51	1994-95 से 2003-04	वॉली बॉल खेल प्रतियोगिता
	कुल	310.46		

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	अग्रिम धारकों के नाम	राशि (लाख रुपये में)	अवधि	उद्देश्य
1.	अल्फ्रेड सोरेन	1.14	95-96 से 03-04	परीक्षा कार्य
2.	डा. डी. सी. यादव, भूतपूर्व परीक्षा नियंत्रक	9.28	95-96 से 03-04	वही
3.	डॉ. नागेश्वर शर्मा, प्राचार्य, देवघर महाविद्यालय	7.65	93-94 से 03-04	केन्द्रों पर व्यय
4.	डॉ. सीताराम सिंह, प्राचार्य, साहेबगंज महाविद्यालय	10.42	94-95 से 03-04	वही
5.	डॉ.सिकन्दर प्रसाद यादव, प्राचार्य देवघर महाविद्यालय	10.04	94-95 से 03-04	वही
6.	सीताराम प्र. यादव, प्राचार्य गोड्डा महाविद्यालय	7.25	94-95 से 03-04	वही
7.	डा. प्रमोद नारायण सिंह, प्राचार्य, जामताड़ा महाविद्यालय	4.71	94-95 से 03-04	वही
8.	एन. के. भालोटिया, संवेदक	3.42	93-94 से 03-04	निर्माण कार्य
9.	राकेश कुमार, संवेदक	1.43	99-2000 से 03-04	वही
10.	ब्रज किशोर मिश्रा एथलेटिक एसोसियेशन	2.09	99-2000 से 03-04	स्पोर्ट्स
11.	नैथेनियल हेम्ब्रम	3.68	95-96 से 03-04	परीक्षा एवं विविध
12.	इग्नाशियस मरांडी, सहायक	1.14	93-94 से 03-04	केन्द्रों पर व्यय
13.	मो. शमुद्दीन, प्रभारी प्रोफेसर	2.31	93-94 से 03-04	स्पोर्ट्स
14.	एस. के. घोष, संतरी, एस.के.यू.ए.ए.	1.14	93-94 से 03-04	स्पोर्ट्स
15.	सुरेश प्रसाद सिंह, सी.एस., साहेबगंज महाविद्यालय	3.05	2002-03 से 03-04	केन्द्रों पर व्यय
16.	परीक्षा नियंत्रक, एस.के.यू.	1.08	94-95 से 2003-04	गोपनीय मुद्रण
17.	एस.के. घोष, एस.पी. महाविद्यालय	1.49	95-96 से 03-04	केन्द्रों पर व्यय
18.	डॉ. पी. देव, प्राचार्य, के.के. महाविद्यालय	0.87	98-99 से 03-04	केन्द्रों पर व्यय
19.	एच. हसन, सहायक	1.15	96-97 से 03-04	विविध
कुल		73.34		

विनोबा भावे विश्वविद्यालय

क्र.सं.	अग्रिम धारकों के नाम	बकाये अग्रिमों की राशि (लाख रुपये में)	अवधि	उद्देश्य/अभ्युक्ति
1.	निदेशक, सारणीयन/मूल्यांकन के.वी.डब्लू हजारीबाग	24.89	1992-93 से 2003-04	सारणीयन/मूल्यांकन
2.	निदेशक, सारणीयन/मूल्यांकन, के.वी.डब्लू आनंदा महाविद्यालय, हजारीबाग	54.29	वही	वही
3.	निदेशक, सारणीयन/मूल्यांकन, के.वी.डब्लू सेंट कोलम्बस महाविद्यालय, हजारीबाग	9.60	वही	वही
4.	निदेशक, सारणीयन/मूल्यांकन एम.सी.सी. महाविद्यालय, हजारीबाग	36.25	वही	वही
5.	सुश्री गीता डे, आर.एस.एम. महाविद्यालय	1.82	वही	खेल एवं युवा महोत्सव ।
6.	निदेशक, सारणीयन/मूल्यांकन एस.एस.एल.एन.टी. महाविद्यालय, धनबाद	9.00	वही	सारणीयन और मूल्यांकन
7.	विभागाध्यक्ष, भूगर्भशास्त्र स्नातकोत्तर, भी.वी.यू. हजारीबाग	2.62	वही	किताबें, उपस्कर, आकस्मिकता आदि
8.	विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, स्नातकोत्तर, भी.वी.यू. हजारीबाग	2.02	वही	वही
9.	विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, स्नातकोत्तर, भी.वी.यू. हजारीबाग	2.13	वही	वही
10.	विभागाध्यक्ष, जन्तुविज्ञान, स्नातकोत्तर, भी.वी.यू. हजारीबाग	2.19	वही	वही
11.	प्राचार्य पी.एम.सी.एम. महाविद्यालय, धनबाद	5.70	वही	केन्द्र खर्च
12.	प्राचार्य, बी.आर.एस. महाविद्यालय, चास	9.34	वही	वही
13.	प्राचार्य, संत कोलम्बस महाविद्यालय, हजारीबाग	19.02	वही	वही
14.	प्राचार्य, पी.के.आर.एम. महाविद्यालय, धनबाद	13.77	वही	वही
15.	प्राचार्य, बी.एस.सिटी महाविद्यालय, बोकारो	14.77	वही	वही
16.	राजेश्वर सिंह	11.48	वही	उपस्कर आदि
17.	मे. गोपीनाथ बद्रीनाथ	6.88	वही	सादा उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति
18.	परीक्षा नियंत्रक	48.02	वही	सारणीयन एवं मूल्यांकन
19.	श्री एन.के. मुखर्जी, सेवानिवृत्त, एफ.ओ.	0.64	2000-2001 से 2003- 2004	अग्रिम वेतन आदि
20.	एम.एस.चडढा और एसोसिएट्स	2.00	2002-03	आर्किटेक्चर कार्य
21.	बिहारी लाल अग्रवाल, कोलकता	6.90	2003-04	डिग्री का मुद्रण
	कुल	283.33		

परिशिष्ट – XXII
(संदर्भ कंडिका 3.2.11 ; पृष्ठ.59)
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	विषय	महाविद्यालय	विषय	स्वीकृत पद	नियुक्त शिक्षकों की संख्या
1.	राँची	मानवता और समाज शास्त्र	16	13	56	शून्य
		विज्ञान	4	4	11	शून्य
		कुल	20	17	67	शून्य
2.	विनोबा भावे	मानवता और समाज शास्त्र	6	11	25	शून्य
		वाणिज्य	1	1	2	शून्य
		कुल	7	12	27	शून्य
3.	एस. के. विश्वविद्यालय	मानवता और समाज शास्त्र	8	10	32	शून्य
		विज्ञान	2	2	2	शून्य
		कुल	10	12	34	शून्य
				कुल	128	

परिशिष्ट- XXIII

(संदर्भ कंडिका 3.5.16; पृष्ठ. 89)

धारण स्तर में अवनति दर्शाने वाली विवरणी

लिंग	वर्ग एवं वर्ष में हुए नामांकन की कुल संख्या						लिंग	2001-02 की तुलना में धारण	
	वर्ग	2001-02	वर्ग	2002-03	वर्ग	2003-04		2002-03	2003-04
लड़का	I	31009	II	20057	III	15200	लड़का	65	49
लड़की		25644		17284		13187	लड़की	68	51
लड़का	II	18812	III	15983	IV	12162	लड़का	85	64
लड़की		14749		12303		9898	लड़की	65	67
लड़का	III	14802	IV	12359	V	9987	लड़का	83	67
लड़की		11349		8933		7620	लड़की	78	67
लड़का	IV	12451	V	9344	VI	8492	लड़का	75	68
लड़की		9280		7095		6056	लड़की	75	65

परिशिष्ट - XXIV

(संदर्भ कडिका 6.1.4 एवं 6.1.6 पृष्ठ .131)

सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम के संदर्भ में 31 मार्च 2004 को बकाये अद्यतन भुगतान पूंजी, बजट से दिए गए ऋण तथा ऋण के बकाये को दर्शाने वाली विवरणी (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष के दौरान बजटीय खय को दर्शाते हैं) (स्तंभ 3 (क) से 4 (घ) के आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	चालू वर्ष के अंत में भुगतान की गयी पूंजी			वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त किए गए इक्विटी/ऋण			वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए अन्य ऋण			2003-2004 के अंत तक बकाये ऋण		2002-03 (पिछले वर्ष) के लिए कर्ज एवं इक्विटी 4(च)/3(ख)
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	होल्डिंग कम्पनी	इक्विटी	ऋण	गए अन्य ऋण	सरकार	अन्य	कुल			
1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	4 (ज)	5	
क.	सरकारी कंपनियाँ												
	दुषि												
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिंचाई निगम लिमिटेड	500.00	-	-	-	-	-	525.00	-	-	525.00	1.05	
	निर्माण												
2.	झारखण्ड आरक्षी आवासीय निगम लिमिटेड	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	पर्यटन												
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	वन एवं पर्यावरण												
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	अंश आवेदन राशि	5.00			5.00								
	खनन												
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल (क)	730.00	-	-	5.00	-	-	525.00	-	-	525.00	-	
ख	सांविधिक निगम												
	शक्ति												
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद	-	-	-	-	10359.00	4700.00	44159.00	4700.00	48859.00	48859.00	-	
	कुल (ख)	-	-	-	-	10359.00	4700.00	44159.00	4700.00	48859.00	48859.00	-	
	सकल योग (क + ख)	730.00	-	-	5.00	10359.00	4700.00	44684.00	4700.00	49384.00	49384.00	-	

नोट:- आंकड़े अनन्तिम हैं जैसा कि कंपनियों और निगमों द्वारा दिए गए हैं।
* 2002-03 के अंत में बकाये ऋण केवल दीर्घवधि ऋण दर्शाते हैं।

परिशिष्ट - XXV

(संदर्भ क्र. 6.1.7 एवं 6.1.8 पृष्ठ.132)

अद्यतन वर्ष जिसके लिए लेखे तैयार किए गए थे, के लिए सरकारी कंपनियों और सार्वधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कालम 7 से 12 एवं 15 आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	भुगतान की गयी पूंजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	लगायी गयी पूंजी (क)	लगायी गयी पूंजी से कुल वापसी	निवेशित पूंजी से कुल वापसी का प्रतिशतता	वर्ष के रूप में बकाये लेखे	आवृत्त	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क	सरकारी कंपनियाँ														
	कृषि														
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.3.2002	2002-03	2004-05	86.82	-	500	86.82	1111.77	86.82	7.81	1	140.18	275
	निर्माण														
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	गृह	13.3.2002	2003-04	2004-05	137.61	-	200	291.40	491.20	291.40	59.32	शून्य	367.74	82
	पर्यटन														
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	22.3.2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	27
	वन														
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	2002-03	2004-05	90.74	-	शून्य	90.74	90.80	90.74	99.93	1	2807.80	494
	खन														
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	खान एवं भूतत्व	7.5.2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
ख	सार्वधिक निगम														
	शक्ति														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	20.3.2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8073
ग	स्वायत्त निकाय														
	शक्ति														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत निगमक आयोग	-	24.4.2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	प्रस्तुत नहीं किया गया

टिप्पणी:- 1. आंकड़े अनन्तिम हैं और जैसा कि कंपनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों द्वारा दिए गए हैं।

2. प्रयुक्त पूंजी निवल स्थिर परिसम्पत्तियों को दर्शाता है (जारी पूंजीगत कार्य सहित) जोड़ कार्यरत पूंजी (यथा चावू परिसम्पत्तियों, उपदान के लिए प्रावधान को छोड़कर चावू परिसम्पत्तियों सहित ऋण एवं अग्रिम)

3. लगाई गई पूंजी पर कुल वापसी लाभ एवं हानि लेखे (पूँजीकृत ब्याज को घटाकर) में भास्ति ब्याज जोड़ शुद्ध अधिक्य/घाटा को दर्शाती है।

परिशिष्ट - XXVI

(संदर्भ कंडिका 6.1.6 ; पृष्ठ.131)

पूँजी, ऋण, अनुदान एवं सहायता अनुदान में वर्षवार बजटीय व्यय दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	नाम	लाख रुपये में			
		2002-2003		2003-2004	
		इक्विटी	ऋण (एल) अनुदान (जी)	इक्विटी	ऋण (एल.) /अन्य अनुदान (जी.) /सहायता अनुदान
क.	सरकारी कंपनियाँ				
1	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	-	-	-	-
2	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	-	-	-	-
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	25	-	-	-
4	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	5.00	-
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-
	उप योग	25	-	5.00	-
ख.	सांविधिक निगम				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड	-	15100.00 (एल) 14246.00 (जी)	-	10359.00 (एल) 9539.00 (जी)
ग.	स्वायत्त्व निकाय				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग	-	-	-	70.00 (जी)
	कुल	25	29346.00	5.00	19968.00

टिप्पणी:- आंकड़े अनन्तिम हैं और जैसा कि कंपनियों, निगम तथा स्वायत्त्व निकाय द्वारा दिये गये हैं।

परिशिष्ट - XXVII

(संदर्भ कंडिका 6.1.10 पृष्ठ .133)

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	भाग- II क की कंडिकाओं की संख्या
1.	1980-81	1	2
2.	1983-84	1	3
3.	1984-85	2	-
4.	1985-86	7	11
5.	1986-87	7	9
6.	1987-88	18	35
7.	1988-89	18	49
8.	1989-90	29	54
9.	1990-91	15	17
10.	1991-92	35	33
11.	1992-93	32	35
12.	1993-94	33	39
13.	1994-95	35	34
14.	1995-96	42	26
15.	1996-97	58	35
16.	1997-98	53	69
17.	1998-99	52	33
18.	1999-00	54	15
19.	2000-01	65	36
20.	2001-02	64	48
21.	2002-03	45	38
22.	2003-04	64	91
कुल		730	712